न्यायालय– न्यायिक मजिस्ट्रेट टोडारायसिंह, जिला टोंक

पीठासीन अधिकारी – विवेक शर्मा (आर.जे.एस)

एफ.आई.आर. नं0 –122/2010 थाना टोडारायसिंह

फौजदारी प्रकरण सं0 –210/10

राजस्थान सरकार बनाम

01.मदन पुत्र श्री श्योजी

02. सौभागी पत्नी श्री मदन

जाति दरोगा, निवासी कांकलवाड, थाना टोडारायसिंह,

जिला –टोंक, राजस्थान

–अभियुक्त–

अपराध अन्तर्गत धारा – 447,341,323/34 भा.दं.सं.

उपस्थित–

01.सहायक लोक अभियोजक राज्य की ओर से।

02.श्री मो.इस्लाम विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 15.03.16

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 01.06.10 को एक तहरीरी रिपोर्ट टाईपशुदा श्री चतुर्भुज ने मय अपनी पत्नी प्रेमदेवी के उपस्थित थाना होकर इस आशय की पेश की कि उसकी पत्नी दिनांक 30.05.2010 को दिन में 11 बजे अपने बाडे के अंदर काम कर रह थी तभी वहां पर मदन, सौभाग उर्फ कोकिला बाडे के अंदर घुसर उसकी पत्नी प्रेमदेवी के साथ मारपीट की, जिसका ओलमा उसके पुत्र रमेश ने शाम को 08 बजे मदन के घर जाकर घर के बाहर दिया तो मदन व सौभाग उर्फ कोकिला ने लकडी की सिर में चोट मारी व शरीर पर जगह–जगह मारी, जिससे रमेश का सिर फूट गया एवं वह बेहोश हो गया तथा मौके पर सत्यनारायण पुत्र बृजमोहन व सत्यनारायण पुत्र छीतर उपस्थित थे, जिन्होंने बीच–बचाव करवाया। उक्त रिपोर्ट पर एफ.आई.आर नं0 122/10 धारा 448, 341,323/34 भा.दं.सं. में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण मदन, सौभागी के विरूद्व धारा 447,341,323,34 भा.दं.सं. में आरोपित अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोप–पत्र पेश न्यायालय किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्व उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया गया।

अभियुक्तगण को धारा 447,341,323/34 भा.दं.सं. का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया, जिसे सुनकर व समझकर अभियुक्तगण ने आरोपित अपराध से इनकार कर अन्वीक्षा चाही।

अभियोजन पक्ष द्वारा मौखिक साक्ष्य के रूप में पी.डब्लयू 01 जगदीश प्रसाद , पी.डब्लयू 02 सूरजमल, पी.डब्लयू 03 सत्यनारायण पुत्र छीतरलाल, पी.डब्लयू 04 चतुर्भज, पी.डब्लयू 05 सत्यनारायण पुत्र श्री बृजमोहन, पी.डब्लयू 06 प्रेम, पी.डब्लयू 07 मदनलाल, पी.डब्लयू 08 रामसिंह, पी.

डब्लयू 09 रमेशसिंह, पी.डब्लयू 10 भारतसिंह के मौखिक कथन लेखबद्व कराए एवं प्रलेखीय साक्ष्य में चोट प्रतिवेदन प्रेम देवी प्रदर्श पी 01, नक्शा मौका प्रदर्श पी 02, तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 03, बयान धारा 161 द.प्र.सं. सत्यनारायण पुत्र बृजमोहन प्रदर्श पी 05, चाकशुदा एफ.आई.आर. प्रदर्श पी 06 प्रलेखों को प्रदर्शांकित करवाया।

अभियुक्तगण को द.प्र.सं. की धारा 313 के अधीन परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताते हुए साक्ष्य सफाई पेश करना चाही एवं साक्ष्य सफाई के रूप में डी. डब्लयू 01 मदन के मौखिक कथन लेखबद्व कराए एवं प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श डी01 एफ.आई.आर. प्रदर्श डी 02 चार्जशीट, प्रदर्श डी 03 चोट प्रतिवेदन मदनलाल, प्रदर्श डी 04 चोट प्रतिवेदन सौभागी, प्रदर्श डी 05 एक्सरे राय मदनलाल को प्रदर्शांकित करवाया।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि प्रकरण के तहत परिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रकरण क्रॉस मुकदमें से बचने के लिए रंजिशवश व झूंठा दर्ज करवाया गया है एवं परिवादी द्वारा तहरीरी रिपोर्ट के तथ्यों की पुष्टि न्यायालय में की साक्ष्य में नहीं की गई है। घटनास्थल परिवादी पक्ष के स्वामित्व/कब्जे का होना मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नहीं है एवं मजरूब की चोटों की पुष्टि चिकित्सकीय साक्ष्य से एवं शेष अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य से भी नहीं होती। अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य घोर विरोधाभासी है। अंत में अभियुक्तगण को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया गया। इसके विपरीत सहायक लोक अभियोजक का तर्क रहा है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्व आरोपित अपराध की पुष्टि होती है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्व किया जाये।

बहस अंतिम सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। मामले के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित अवधार्य प्रश्न है–

01. आया अभियुक्तगण ने दिनांक 30.05.2010 को समय लगभग 11 ए.एम. पर ग्राम कांकलवाड में परिवादी के बाडे में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर सामान्य आशय के अग्रसरण में प्रेमदेवी के साथ मारपीट कर उसके शरीर पर स्वेच्छया साधारण उपहतियां कारित की एवं उसी दिन शाम के लगभग 08 पी.एम पर रास्ता आम ग्राम कांकलवाड में अभियुक्तगण ने सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादी के पुत्र रमेश के साथ मारपीट कर उसके स्वेच्छया साधारण उपहतियां कारित की?

02. यदि हां तो अभियुक्तगण किस सजा के पात्र है?

उक्त अवधार्य प्रश्न के संबंध में अभियोजन साक्ष्य का अवलोकन किया गया। साक्षी पी.डब्लयू 01 डॉक्टर जगदीश प्रसाद गुप्ता ने सशपथ कथन किया है कि उसने दिनांक 01.06.11 को पुलिस तहरीर पर प्रेमदेवी के शरीर की चोटों का मुआयना किया। उसके शरीर पर चोट नं0 1 खरौचनुमा बाएं अग्र भुजा पर अंदर की तरफ साधारण प्रकृति की भौंटे हथियार से आई थी। चोट नं0 2 गर्दन पर दर्द की शिकायत कर रही थी, पर कोई जाहिरा चोट नहीं थी। चोट नं0 3 कमर दर्द की

शिकायत कर रही थी पर कोई जाहिरा चोट नहीं थी। चोटों की अवधि 2 से 4 दिन के बीच में थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 01 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर, सी से डी मजरूबा का पहचान चिन्ह व एक्स स्थान पर अंगूठा निशानी है। जिरह में गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि चोट नं0 1 के किसी भी ठोस सतह पर टकराने से आने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

पी.डब्लयू 02 सूरजमल ने सशपथ कथन किया है कि दिनांक 01.06.2010 को वह थाना टोडारायसिंह पर ए.एस.आई. के पद पर तैनात था। उस दिन मुकदमा नं0 122/2010 अन्तर्गत धारा 448,323,34 भा.दं.सं. की तफतीश उसके जिम्मे की। उसने तफतीश के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 बनाया, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। गवाहान चतुर्भुज, प्रेमदेवी, सत्यनारायण, सत्यनारायण पुत्र बृजमोहन, रमेश, रामसिंह के बयान उनके बोले अनुसार लिखे। मजरूबा प्रेमदेवी की आई.आर. शामिल पत्रावली की जो प्रदर्श पी 01 है। तफतीश से मुकदमा मुलजिमान मदन व सौभागी के विरूद्व धारा 448,341,323,34 भा.दं.सं. का अपराध साबित पाए जाने पर पत्रावली वास्ते चार्जशीट एस.एच.ओ. साहब को पेश की। उन्होंने धारा 447,323,341,34 भा.दं.सं. में अपराध प्रमाणित मानकर चार्जशीट किता कर चालान न्यायालय में पेश किया। चार्जशीट पर हस्ताक्षर को वह पहचानता है। जिरह में गवाह ने स्वीकार किया है कि उसने दिनांक 30.05.10 को मजरूब मदनलाल जो इस प्रकरण में अभियुक्त है, के पर्चा बयान सी.एच.सी. टोडारायसिंह में लिया। गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उसने मुस्तगीस व मजरूबान के विरूद्व धारा 452,323 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित किया था जो उसके अनुसंधान से दिखा था। उसने धारा 447 भा.दं.सं. के बारे में दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त नहीं की। स्वयं कहा कि कब्जे के आधार पर माना। उसने कब्जे के बारे में ग्राम पंचायत या आस पडौसियों से कोई साक्ष्य नहीं ली। उसने पडौसियों के बयान नहीं लिए। सत्यनारायण पुत्र बृजमोहन इनका पडौसी नहीं है। यह लडाई रास्ते में नहीं हुई, बाडे में हुई। उसने बाडे के स्वामित्व के दस्तावेज प्राप्त नहीं किए।

पी.डब्लयू 03 सत्यनारायण ने सशपथ कथन किया है कि वह कांकलवाड का रहने वाला है। उनका मकान, चतुर्भुज व मदन के पास ही है। करीब 4–5 साल पहले की बात है। चतुर्भुज और मदन दोनों के बीच आपस में गुवाडी को लेकर विवाद है। शाम का समय था, वह मदन के घर पर था। मदन के घर पर गोपाल और दो आदमी बैठकर बात कर रहे थे, तभी वहां चतुर्भुज, रामसिंह आए व आते ही मदन के साथ मारपीट करने लगे। मदन, सौभाग के साथ मारपीट की। उसने बीच बचाव करवाकर छुडवाया। पुलिस वाले बाद में आए। नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 बनाया , जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। जिरह में गवाह ने स्वीकार किया है कि चतुर्भुज, रमेश व रामसिंह ने मदन के घर जाकर मदन व उसकी पत्नी सौभागी के साथ मारपीट की है। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि मदन व सौभागी उर्फ कोकिला ने चतुर्भुज व प्रेम देवी के साथ रास्ते आम में कोई मारपीट नहीं की।

पी.डब्लयू 04 चतुर्भुज ने सशपथ कथन किया है कि वह व उसके भाई मदन के शामलाती गुवाडी थी। जिसके दो बराबर हिस्से करा लिए। करीब 05 साल पहले 30.05.2010 की बात है। उसकी पत्नी प्रेम ने बताया कि मदन और उसकी पत्नी ने बाडे में गेट रास्ता बंद कर दिया। उसकी पत्नी ने मना किया तो उसकी पत्नी और उसने उनके साथ मारपीट की। बीच बचाव कराने वाली

उसकी काकी केसर थी जो मर गई। एक श्योजी ने बीच बचाव कराया था। इसकी थाने में रिपोर्ट प्रदर्श पी 03 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसके बच्चे ओलमा देने गए तो उनके साथ भी मारपीट की। पुलिस वाले आए व नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी 04 है, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। जिरह में गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उसके सामने लडाई झगडा हुआ था। गवाह का कहना है कि वह व अभियुक्त सगे भाई है, बाडे पर आधा हिस्सा उसका और आधा हिस्सा अभियुक्त का है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि यह बात वह अपनी पत्नी प्रेम देवी के कहने से कहता है।

पी.डब्लयू 05 सत्यनारायण ने सशपथ कथन किया है कि उसे घटना के घटित होने का समय नहीं पता। उसने कुछ भी नहीं देखा और न ही इस संबंध में उसे कोई जानकारी है। गवाह को ए.पी.पी. द्वारा पक्षद्रोही घोषित करवाया गया। ए.पी.पी. द्वारा की गई जिरह में गवाह ने प्रदर्शपी 05 का ए से बी लगभग सम्पूर्ण भाग पुलिस को लिखाने से इनकार किया है।

पी.डब्लयू 06 प्रेम ने सशपथ कथन किया है कि घटना करीब 05 साल पुरानी है। उस दिन 11 बजे का समय दिन का था। बाडे में अभियुक्तगण मदन व सौभाग बाड कर रहे थे। उनके हाथ में सरिया था। उसने मना किया तो उन्होंने गाली निकाली। मदन ने फिर उसके सिर, पैर व हाथ पर मारी। उसके पति उस समय टोडा आाए हुए थे। सौभागी उसकी देवरानी ने उसका गला पकड लिया। उसे किसने छुडाया ध्यान नहीं है। उसने इस घटना की जानकारी रामसिंह, रमेश अपने बेटों को दी। जब रमेश, रामसिंह शाम को घर आए तो अभियुक्तगण ने रमेश को गाली गलौच की और रामसिंह के साथ भी हाथापाई की। उसका मेडिकल मुआयना हुआ। उसके पैर में टांके आए, सरिया तीखा था। गवाह ने पैर पर टांके का निशान बताया। आई.आर. प्रदर्श पी 01 है, जिस पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है। पुलिस मौके पर आई और कागजी कार्यवाही कर नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 बनाया, जिसमें 'XA' स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है। XA-1 स्थान पर भी मदन व सौभागी ने उसके साथ मारपीट की। वे उसके साथ उसे घसीटकर बाहर ले गए थे। प्रदर्श पी 02 पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है। प्रदर्श पी 03 लिखित शिकायत पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है। चाकशुदा एफ.आई.आर. प्रदर्श पी 06 है, जिस पर भी एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है। जिरह में गवाह का कहना है कि उसके पति व चतुर्भुज केवल दो भाई है। उनका बंटवारा हो चुका है लेकिन यह स्वीकार किया है कि उनके बीच गुवाडी का झगडा है। गवाह ने स्वीकार किया है कि उनके तो सिर्फ केवल बाडे का ही विवाद है। इस समय तो उनके और मदन के बीच दीवार बन चुकी है किन्तु घटना के समय दीवार नहीं थी। यह दीवार 5—6 साल पुरानी है। बाद में बहुत से लोग आ गए थे, जिन्होंने बीच बचाव करवाया था। श्योजी गुर्जर के फोन से उसने फोन किया था। नक्शा मौका उसे पढकर नहीं सुनाया। रिपोर्ट उसी दिन दे दी थी। रिपोर्ट किसने लिखी पता नहीं, कब लिखी पता नहीं। उसे रिपोर्ट को पढकर नहीं सुनाया।

पी.डब्ललयू 07 मदनलाल ने सशपथ कथन किया है कि घटना 4—5 साल पुरानी है। प्रेमदेवी के साथ मारपीट हुई वहां का घटनास्थल का नक्शा मौका पुलिस ने बनाया था जो प्रदर्श पी 02 है, जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी 02 में 'XA' और XA-1 पर मारपीट हुई थी। जिरह

में गवाह का कहना है कि वह नक्शा मौका में नहीं समझता।

पी.डब्ल्यू 08 रामसिंह ने सशपथ कथन किया है कि घटना 2010 की है, उस समय वह जयपुर रहता था तथा उसका भाई रमेश भी जयपुर में था। उसके भाई रमेश के पास फोन आया। उसकी मां प्रेमदेवी की गुवाडी में बाड लगाने की बात को लेकर उसकी मां के साथ मदन और उसकी पत्नी सौभागी ने मारपीट की। उन्होंने गांव जाकर मदन को ओलमा दिया तो उन्होंने उसके व उसके भाई रमेश व पिता के साथ मारपीट की थी। जिरह में गवाह ने स्वीकार किया है कि उसने घटना को ऑखों से नहीं देखी। उस समय कोई नहीं था, इसलिए और किसी ने घटना नहीं देखी। लडाई झगडा मदन के घर के सामने हुआ था। वे शाम को 4–5 आदमी मदन के घर पर गए थे। गवाह ने यह स्वीकार किया है कि मदन ने भी सरकार/रामसिंह के नाम से मुकदमा कर रखा है जो भी मारपीट का है। उनके माता–पिता के साथ 10–11 बजे और शाम को उनके साथ मारपीट हुई थी। पुलिस बयान प्रदर्श डी 01 का ए से बी भाग ''उसके भाई रमेश ने व उसने मदनलाल के घर पर जाकर इस बात का ओलमा दिया तो झगडा किया व रमेश के साथ मारपीट की, जिसके सिर में लगी'' को साक्षी ने सही होना बताया है। गवाह का कहना है कि उसकी मां ने यह नही बताया कि किसने कहां चोटें मारी, फिर कहा यह तो बताया था, लेकिन किस–किसने बीच बचाव करवाया, यह नहीं बताया।

पी.डब्लयू 09 रमेशसिंह ने सशपथ कथन किया है कि घटना 05 साल पुरानी है। उस दिन वह और उसका भाई जयपुर में थे। उनके पास मोबाईल पर फोन आया जो उसके भाई के पास था कि गांव में उनकी मां प्रेमदेवी के साथ झगडा हो गया और उन्हें गांव चलना है। उसने घर पर आकर देखा कि उसका चाचा मदनसिंह और उसकी पत्नी ने उसकी मां के साथ मारपीट की थीं, मोबाईल नम्बर उसे याद नहीं है। जब वह और उसके भाई रामसिंह व पिताजी मदन के घर ओलमा देने गए तो उन्होंने उनके साथ भी मारपीट की। जिरह में गवाह का कहना है कि टेलीफोन उसके भाई के पास आया था। साक्षी ने पुलिस बयान प्रदर्श डी 01 का ए से बी भाग ''उसके भाई रमेश ने व उसने मदनलाल के घर पर जाकर इस बात का ओलमा दिया तो झगडा किया व रमेश के साथ मारपीट की, जिसके सिर में लगी'' सुनकर सही होना बताया। गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श डी 02 का ए से बी भाग में जो मोबाईल नम्बर 9829116906 दिए गए है, वह स्वयं के नहीं होकर अपने भाई के होना बताया है। वे मदन के घर गेट तक गए। गवाह ने यह स्वीकार किया है कि मदन के घर गए वहां मदन और उनके बीच लडाई –झगडा हुआ। गवाह ने स्वीकार किया है कि मदन ने उसके, उसके भाई व पिताजी के विरूद्व लडाई–झगडे का मुकदमा दर्ज करवा रखा है। जिस समय शाम को लडाई झगडा हो गया, उस समय 20–25 आदमी जिनमें से सत्यनारायण जी, उसकी पत्नी सीता कंवर, रामरतन, एक जगदीश, रामअवतार, एक चौधरी ने झगडा होते देखा था। उसके सिर व अंगूली में टांके आए थे। पुलिस उसे टोंक लेकर गई थी। उसकी मां के भी लगी थी लेकिन उसका मेडिकल करवाया या नहीं, पता नहीं। उसकी मां के पैरों में भी चोट आई थी। उसकी मां के चाचा ने मारी, या चाची ने मारी, उसे पता नहीं।

पी.डब्लयू 10 भारतसिंह ने सशपथ कथन किया है कि दिनांक 01.06.10 को वह इंचार्ज थाना

टोडारायसिंह के पद पर तैनात था। उस दिन प्रार्थी चतुर्भुज ने मय अपनी पत्नी प्रेमदेवी के उपस्थित होकर एक प्रार्थना—पत्र उसके समक्ष पेश किया जो प्रदर्श पी 03 है, जिस पर सी से डी कार्यवाही पुलिस पृष्ठांकन व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। इस प्रार्थना—पत्र पर मुकदमा नं0 122/10 दर्ज कर अनुसंधान श्री सूरजमल ए.एस.आई के जिम्मे किया। चाकशुदा एफ.आई.आर. प्रदर्श पी 06 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। बाद अनुसंधान श्री सूरजमल ए.एस.आई ने अभियुक्तगण मदनलाल, सौभागी के खिलाफ धारा 447,341,323,34 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर पत्रावली उसके समक्ष पेश की। उसने चालान उपरोक्त धाराओं में उपरोक्त अभियुक्तगण के खिलाफ न्यायालय में पेश किया। जिरह में गवाह का कहना है कि उसने केवल कार्यवाही पुलिस का पृष्ठांकन प्रदर्श पी 03 पर किया है। क्रॉस केस में भी उसने ही कार्यवाही पुलिस अंकित की ।

डी.डब्लयू 01 मदन ने सशपथ कथन किया है कि उसने प्रदर्श डी 01 एफ.आई.आर. प्रदर्श डी 02 चार्जशीट, प्रदर्श डी 03 इंजरी रिपोर्ट, प्रदर्श डी 04 उसकी पत्नी का मेडिकल, प्रदर्श डी 05 एक्सरे ओपिनयन कागजात पेश किए है। जिरह में गवाह का कहना है कि उसे पता नहीं कि मारपीट में प्रेम देवी के चोटें आई थी या नहीं, फिर कहा प्रेमदेवी लडाई में शामिल ही नहीं थी। उसके कोई चोट नहीं आई थी।

पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य सामग्री का अवलोकन किया। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 03 में परिवादी का कथन है कि दिनांक 30.05.10 को दिन में 11 बजे जब उसकी पत्नी प्रेम देवी अपने बाडे में काम कर रही थी तभी वहां अभियुक्तगण ने बाडे में घुसकर प्रेम देवी के साथ मारपीट की, परन्तु न्यायालय में की साक्ष्य में परिवादी पी.डब्लयू 04 चर्तुभुज ने स्वयं की पत्नी आहत प्रेम देवी का बाडे में काम करने के दौरान अभियुक्तगण का बाडे के अंदर घुसकर मारपीट किए जाने सम्बन्धी कोई कथन नहीं किया है, अपितु अभियुक्तगण द्वारा बाडे का रास्ता रोककर बंद कर दिए जाने पर प्रेम देवी के मना करने पर अभियुक्तगण द्वारा प्रेम देवी के साथ मारपीट करने का उल्लेख किया है एवं साथ ही जिरह में परिवादी ने लडाई के समय स्वयं का मौके पर न होने एवं स्वयं की पत्नी के बताए अनुसार ही कहने का कथन किया है, परन्तु तहरीरी रिपोर्ट में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। साक्षी पी.डब्लयू 06 आहत प्रेम का बयान है कि अभियुक्तगण उसके बाडे में बाड कर रहे थे, उसने मना किया तो उन्होंने गालियां निकाली एवं अभियुक्त मदन द्वारा उसके सिर, पैर व हाथ पर मारने एवं अभियुक्त सौभागी द्वारा गला पकडने का कथन किया है। इस प्रकार आहत प्रेम ने स्वयं का अपने बाडे में काम करने के दौरान अभियुक्तगण द्वारा अनाधिकृत रूप से उसके बाडे में प्रवेश कर उसके साथ मारपीट किए जाने सम्बन्धी कथन तहरीरी रिपोर्ट में के तथ्यों की पुष्टि में नहीं किए है। जहां तक बाडे का रास्ता बंद किए जाने पर या बाडे की बाड लगाने से मना किए जाने पर प्रेम देवी के साथ मारपीट किए जाने सम्बन्धी क्रमशः परिवादी पी.डब्लयू 04 चतुर्भुज व आहत पी.डब्लयू 06 प्रेम के उक्त कथनों का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में परिवादी पी.डब्लयू 04 चतुर्भुज का जिरह में कथन है कि वह एवं अभियुक्त सगे भाई हैं। बाडे में आधा हिससा उसका व आधा अभियुक्त का है। आहत पी.डब्लयू 06 प्रेम ने जिरह में स्वीकार किया है कि उनके केवल बाडे का ही विवाद है। इस समय तो उनके व मदन के बीच दीवार बन चुकी है किन्तु घटना के समय दीवार नहीं बनी थी। नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 के अवलोकन से यह जाहिर है कि उसमें घटना 'XA'स्थान पर होना बताया

गया है, जिसके सम्बन्ध में अनुसंधान अधिकारी पी.डब्लयू 02 सूरजमल का जिरह में कहना है कि उसने धारा 447 भा.दं.सं. के बारे में दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त नहीं की। उसने कब्जे के आधार पर अपराध माना। आगे गवाह का कहना है कि उसने कब्जे के विषय में ग्राम पंचायत या आस—पडौसियों के कोई बयान नहीं लिए एवं बाडे के स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज प्राप्त किए जाने से भी इनकार किया है। अन्यथा भी अभियोजन कहानी की ओर से घटना के स्थान पर परिवादी पक्ष का कब्जा या स्वामित्व होने के विषय में कोई विश्वसनीय मौखिक या प्रलेखीय साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की गई है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से उक्तानुसार साक्ष्य के विश्लेषण से अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने परिवादी/आहत चतुर्भुज, प्रेम देवी के कब्जेशुदा/स्वामित्व के बाडे में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर आपराधिक अतिचार किया हो। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्व धारा 447 भा.दं.सं. के अपराध का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

परिवादी चतुर्भुज का तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 03 एवं स्वयं की साक्ष्य में स्वयं की पत्नी प्रेम के साथ आहत प्रेम देवी के बताए अनुसार अभियुक्तगण द्वारा मारपीट किए जाने का कथन किया है एवं पी.डब्लयू 06 प्रेम देवी का कथन है कि मदन ने उसके सिर, पैर व हाथ पर मारी परन्तु चिकित्सीय साक्षी पी.डब्लयू 01 डॉक्टर जगदीश प्रसाद की साक्ष्य व चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 01 के अवलोकन से आहत प्रेम देवी के सिर व पैर पर कोई चोट आना नहीं बताया गया है एवं मात्र बाएं अग्र भुजा पर खरौंच होना अंकित है, जिसके बारे में परिवादी व स्वयं आहत ने स्पष्ट कथन नहीं किया है कि उसके कौनसे हाथ पर कहां मारी गई। इस प्रकार आहत प्रेम देवी के आई चोटों के सम्बन्ध में चिकित्सकीय साक्ष्य की पुष्टि स्वयं आहत प्रेम देवी व परिवादी की साक्ष्य से नहीं होती।

इसके अतिरिक्त परिवादी ने तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 03 में प्रेम देवी के साथ कथित घटना के समय किसी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के होने के विषय में कोई कथन नहीं किया है, जबकि न्यायालय में की साक्ष्य में परिवादी का कहना है कि बीच—बचाव कराने वाली उसकी काकी केसर थी, जो मर गई। परन्तु केसर का बीच—बचाव कराने के विषय में न तो तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 03 व न ही आहत पी.डब्लयू 06 प्रेम देवी ने अपनी साक्ष्य में कोई कथन किया है एवं शेष अभियोजन साक्षीगण द्वारा भी ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है। परिवादी का मुख्य परीक्षण में भी आगे कथन है कि श्योजी ने भी बीच—बचाव करवाया था, जबकि आहत पी.डब्लयू 06 प्रेम का मुख्य परीक्षण में बयान है कि उसे किसने छुडाया उसे ध्यान नहीं है। वहीं जिरह में गवाह प्रेम का कहना है कि वह मौके पर रोई थी, तब गांव के अन्य लोग चोट लगते ही आ गए। बाद में बहुत से लोग आ गए थे, जिन्होंने बीच बचाव करवाया था परन्तु इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट कथन नहीं किया गया है कि बीच —बचाव कराने वाले व मौके पर आने वाले व्यक्ति कौन —कौन थे। साक्षी पी.डब्लयू 08 परिवादी व आहत के पुत्र रामसिंह ने जिरह में स्वीकार किया है कि उसने घटना को आंखों से नहीं देखा, उस समय कोई नहीं था, इसलिए और किसी ने भी घटना नहीं देखी। उसकी मां अर्थात आहत प्रेम देवी ने उसे यह नहीं बताया कि किस —किसने बीच —बचाव करवाया। साक्षी पी.डब्लयू 09 रमेशसिंह का जिरह में कथन है कि प्रेम देवी के साथ मारपीट के विषय में उसके माता—पिता का फोन आया था। टेलीफोन उसके भाई के पास आया था। इस प्रकार यह साक्षी भी वरवक्त घटना मौके पर नहीं था। इस प्रकार

वरवक्त घटना प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण के विषय में परिवादी व आहत प्रेम देवी की साक्ष्य तहरीरी रिपोर्ट की पुष्टि में न होकर आपस में भी पुष्टिकारक नहीं है एवं स्वयं में भी विरोधाभासी होने से विश्वसनीय नहीं कही जा सकती एवं चोटों के सम्बन्ध में स्वयं आहत की साक्ष्य की पुष्टि चिकित्सकीय साक्ष्य से भी नहीं होती है। अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रेम देवी के साथ अभियुक्तगण द्वारा मारपीट किए जाने के परिणामस्वरूप उसके प्रश्नगत चोटें आने का तथ्य भी अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है।

तहरीरी रिपोर्ट में परिवादी का यह कथन है कि जब उसके पुत्र रमेश ने प्रेम देवी के साथ मारपीट किए जाने का ओलमा शाम को 08 बजे मदन के घर पर जाकर दिया तो अभियुक्तगण ने रमेश के लकडी की सिर में व शरीर पर जगह–जगह चोटें मारी, जिससे रमेश का सिर फट गया एवं वह बेहोश हो गया परन्तु न्यायालय में की साक्ष्य में परिवादी ने यह कथन किया है कि उसके बच्चे ओलमा देने गए तो उनके साथ भी मारपीट की, परन्तु इस सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया कि मारपीट किसने, किससे व कहा–कहां की व मारपीट से कहां–कहां चोटें आई एवं न ही विनिर्दिष्ट रूप से केवल रमेश का ओलमा दिए जाने हेतु जाने का उल्लेख किया है, जो इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि अभियोजन की ओर से परिवादी के दो पुत्रों पी.डब्लयू 08 रामसिंह व पी.डब्लयू 09 रमेशसिंह को परीक्षित करवाया गया है। वहीं आहत प्रेम पी.डब्लयू 06 का मुख्य परीक्षण में बयान है कि उसने अपने साथ मारपीट की घटना की जानकारी अपने पुत्रों रमेशसिंह व रामसिंह को दी। आगे कथन है कि जब रमेश व रामसिंह शाम को घर आए तो अभियुक्तगण ने रमेश के साथ गाली–गलौच की और रामसिंह के साथ भी हाथपाई की। इस प्रकार इस साक्षी ने रमेश को अभियुक्तगण के घर ओलमा देने जाने का कथन नहीं किया है एवं दोनो पुत्रों के घर आने पर रमेश के साथ गाली–गलौच किए जाने व रामसिंह के साथ हाथापाई करने का कथन किया है तथा रमेश के साथ मारपीट किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है। इस प्रकार इस साक्षी की साक्ष्य से तहरीरी रिपोर्ट व परिवादी की साक्ष्य की पुष्टि नहीं होती। स्वयं आहत पी.डब्लयू 09 रमेश का मुख्य परीक्षण में बयान है कि जब वह तथा उसका भाई एवं उसके पिताजी मदन के घर ओलमा देने गए तो उन्होंने उनके साथ मारपीट की, जबकि इस साक्षी के पिता अर्थात् परिवादी ने स्वयं का रामसिंह को अभियुक्त के घर ओलमा देने जाने के सम्बध में न तो परिवाद–पत्र में एवं न ही स्वयं की साक्ष्य में कोई कथन किया है। इसके अतिरिक्त इस साक्षी रमेश ने यह भी कथन नहीं किया है कि उसके किसने मारी व कहां चोट आई परन्तु साक्षी का जिरह में यह कहना है कि उसके सिर व अंगूली में टांके आए थे परन्तु ऐसा कथन न तो साक्षी के पिता पी.डब्लयू 04 चतुर्भुज व न ही साक्षी की माता पी.डब्लयू 06 प्रेम एवं न ही परिवादी के भाई पी.डब्लयू 08 रामसिह ने कथन किया है। अन्यथा भी तहरीरी रिपोर्ट में के कथनानुसार रमेश का सिर फटना व स्वयं रमेश की उक्त साक्ष्य के अनुसार उसके सिर व अंगूली में टांके आने के सम्बन्ध में कोई चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है एवं ऐसा न होने के सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण भी अभियोजन की ओर से पेश नहीं किया गया है, जबकि तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 03 एवं स्वयं आहत रमेश के बयानानुसार मारपीट के परिणामस्वरूप उसके गम्भीर जाहिर चोटें आना स्पष्ट है एवं उक्त विलोप अभियोजन कहानी को संदेहास्पद बना देता है।

इसके अतिरिक्त तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 03 में परिवादी का कहना है कि मौके पर सत्यनारायण पुत्र बृजमोहन व सत्यनारायण पुत्र छीतर दरोगा उपस्थित थे, जिन्होंने बीच बचाव करवाया, परन्तु परिवादी ने स्वयं की साक्ष्य में ऐसा कोई कथन नहीं किया है। साक्षी पी.डब्लयू 06 प्रेम, आहत पी.डब्ल्यू 09 रमेशसिंह व पी.डब्लयू 08 रामसिंह ने भी मुख्य परीक्षण में तहरीरी रिपोर्ट में के उक्त तथ्यों के अनुसार बीच–बचाव करवाने वालों के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया है। हालांकि अभियोजन पक्ष की ओर से बीच बचाव करवाने वाले उक्त कथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण को परीक्षित करवाया गया है, जिनमें से साक्षी पी.डब्लयू 05 सत्यनारायण पुत्र बृजमोहन पूर्ण रूप से पक्षद्रोही रहकर अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करता एवं साक्षी पी.डब्लयू 03 सत्यनारायण पुत्र छीतरलाल का मुख्य परीक्षण में कथन है कि वह मदन के घर था। मदन के घर पर गोपाल और दो आदमी बैठकर बाते कर रहे थे, तभी वहां चतुर्भुज, रामसिंह आए और आते ही मदन के साथ मारपीट करने लगे एवं मदन व सौभागी के साथ मारपीट किए जाने का कथन किया गया है। साक्षी का कथन है कि उसने बीच–बचाव करवाकर छुडवाया। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई जिरह में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि चतुर्भुज, रमेश व रामसिंह ने मदन के घर जाकर मदन व उसकी पत्नी सौभागी के साथ मारपीट की थी एवं यह भी स्वीकार किया है कि मदन व सौभागी उर्फ कोकिला ने चतुर्भुज व प्रेमदेवी के साथ रास्ता आम में कोई मारपीट नहीं की। इस प्रकार इस साक्षी ने तो अभियुक्तगण के साथ परिवादी पक्ष द्वारा मारपीट किए जाने का कथन किया है। इस प्रकार परिवादी पी.डब्लयू 03 चतुर्भुज, आहत रमेश की माता पी.डब्लयू 06 प्रेम, स्वयं आहत पी.डब्लयू 09 रामसिंह व आहत रमेश के भाई पी.डब्लयू 08 रामसिंह की साक्ष्य रमेश के साथ अभियुक्तगण द्वारा मारपीट किए जाने के सम्बन्ध में विरोधाभासी होने के साथ तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 03 के तथ्यों की पुष्टि में भी नहीं है एवं न ही उक्त साक्षीगण की साक्ष्य की पुष्टि में चिकित्सकीय साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत की गई है एवं अभियोजन पक्ष की ओर से इस सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पी.डब्लयू 05 सत्यनारायण पूर्ण रूप से पक्षद्रोही रहा है व अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पी.डब्लयू 03 सत्यनारायण पुत्र छीतरलाल ने तो परिवादी पक्ष द्वारा अभियुक्तगण के साथ मारपीट किए जाने का स्पष्ट कथन किया गया है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण द्वारा रमेश के साथ मारपीट किए जाने एवं परिणास्वरूप उसके चोटें आने का तथ्य भी युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है।

इस प्रकार उपर्युक्त समस्त विवेचनानुसार अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्व आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अत : अभियुक्तगण उनके विरूद्व आरोपित अपराध से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

–आदेश–

अतः अभियुक्तगण 01.मदन पुत्र श्री श्योजी 02. सौभागी पत्नी श्री मदन जाति दरोगा, निवासी कांकलवाड, थाना टोडारायसिंह,जिला –टोंक, राजस्थान को अपराध अन्तर्गत धारा 447,341,323/34 भा.दं.सं. के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण के इस न्यायालय में हाजरी बाबत् जमानत मुचलके निरस्त किए जाते है।

विवेक शर्मा

न्यायिक मजिस्ट्रेट टोडारायसिंह, जिला टोंक

निर्णय आज दिनांक 15.03.15 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

विवेक शर्मा

न्यायिक मजिस्ट्रेट टोडारायसिंह, जिला टोंक